

जातीय समानता को बढ़ावा देने में  
विद्यमान  
और नियोजित उपाय

संस्कृति, खेलकुद तथा पर्यटन ब्यूरो

संस्कृति, खेल और पर्यटन ब्यूरो जनता के सभी सदस्यों द्वारा उनकी नस्लीय पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना संबंधित सेवाओं तक समान पहुंच सुनिश्चित करने को बहुत महत्व देता है।

**A. जनरल**

संबंधित  
सेवाएं

- जनता को प्रदान की जाने वाली सेवाएँ नस्ल के मामले में तटस्थ हैं और चीनी और/या अंग्रेजी में दी जाती हैं। CSTB की वेबसाइट पर दी गई जानकारी चीनी और अंग्रेजी दोनों में है।

मौजूदा  
उपाय

- CSTB जहां उपयुक्त और व्यावहारिक हो, वहां जातीय अल्पसंख्यक निवासियों के सद्भाव और संवर्धन केंद्र के माध्यम से आठ भाषाओं में व्याख्या/अनुवाद सेवा की व्यवस्था करता है, अर्थात् इंडोनेशियाई भाषा, हिंदी, नेपाली, पंजाबी, तागालोग, थाई, उर्दू और वियतनामी।

भविष्य के कार्य  
का मूल्यांकन

- CSTB समय-समय पर अपनी सेवाओं की समीक्षा करता है और जहां आवश्यक हो वहां सुधार करता है।

उठाए  
गए/उठाए जाने  
वाले अतिरिक्त  
उपाय

- CSTB कर्मचारियों की समझ बढ़ाने के लिए नस्लीय समानता पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था की जाएगी।
- सेवा प्रावधान के निरंतर मूल्यांकन और सुधार की सुविधा के लिए विविध नस्ल के लोगों द्वारा सेवाओं के उपयोग पर डेटा एकत्र किया जाएगा।

उपरोक्त से संबंधित पूछताछ के लिए कृपया निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से श्री मार्को यू, कार्यकारी अधिकारी (जनरल) से संपर्क करें -

टेलीफोन नं. : 3655 5640  
फैक्स नं. : 2827 6646  
ईमेल : cstbenq@cstb.gov.hk  
डाक पता : 21/एफ, वेस्ट विंग, केंद्रीय सरकारी कार्यालय, 2 टिम  
मेई एवेन्यू, तामार, हांगकांग

## B. क्रिएटिव इंडस्ट्रीज

संबंधित  
सेवाएं

- सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग विकास एजेंसी (CCIDA) संस्कृति, खेल और पर्यटन ब्यूरो के तहत स्थापित एक समर्पित कार्यालय है, जो हांगकांग में आठ रचनात्मक उद्योगों<sup>1</sup> के आगे के विकास को आगे बढ़ाता है। CCIDA सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के संबंध में सरकारी नीतियों और प्रयासों का समन्वय करता है, और हांगकांग के सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योगों के सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापार के साथ मिलकर काम करता है। CCIDA आम जनता को निम्नलिखित सेवाएँ प्रदान करता है -
  - क्रिएट स्मार्ट इनिशिएटिव और फिल्म डेवलपमेंट फंड के लिए वित्तपोषण आवेदनों का प्रसंस्करण, जो क्रमशः फिल्म और गैर-फिल्मी रचनात्मक उद्योगों से संबंधित परियोजनाओं के लिए समर्पित वित्तपोषण योजनाएं हैं;
  - मनोरंजन विशेष प्रभाव अध्यादेश के तहत लाइसेंस या परमिट के लिए आवेदनों का प्रसंस्करण (कैप.560);
  - स्थान फिल्मांकन के संबंध में लाइसेंस या परमिट के लिए आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए अन्य सरकारी विभागों के साथ समन्वय करना; तथा
  - आने वाले दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए काउंटर सेवाएं प्रदान करना तथा संसाधन केंद्र का प्रबंधन करना, जहां फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों को आवश्यक जानकारी खोजने में सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य केंद्र उपलब्ध कराए गए हैं।

<sup>1</sup> अर्थात्, विज्ञापन, वास्तुकला, डिजाइन, डिजिटल मनोरंजन, फिल्म, संगीत, मुद्रण और प्रकाशन, और टेलीविजन।

उपरोक्त सेवाएँ जनता के लिए खुली हैं।

मौजूदा  
उपाय

- जनता को संबंधित सेवाओं के लिए समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, जैसे कि फिल्म उद्योग और वित्तपोषण योजनाओं के बारे में जानकारी तक पहुंच।
- यदि अंग्रेजी और चीनी नहीं बोलने वाले लोगों को हमारी सेवाओं की आवश्यकता है, तो हम उपयुक्त संगठनों को आवश्यक संदर्भ देंगे ताकि उक्त लोगों को व्याख्या और अनुवाद सेवाएं प्रदान की जा सकें, ताकि वे हमारी सेवाओं को समझ सकें और यदि वे वित्त पोषण आवेदन जमा करना चाहते हैं तो स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार चीनी या अंग्रेजी में प्रस्तुतियां दे सकें।

भविष्य के  
कार्य का  
मूल्यांकन

- हम चीनी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपनी सेवाएं प्रदान करना जारी रखेंगे.

उठाए  
गाए/उठाए  
जाने वाले  
अतिरिक्त  
उपाय

- सेवा प्रावधान के निरंतर मूल्यांकन और सुधार की सुविधा के लिए विविध नस्ल के लोगों द्वारा सेवाओं के उपयोग पर डेटा एकत्र किया जाएगा.

उपरोक्त से संबंधित पूछताछ के लिए कृपया निम्नलिखित चैनलों के माध्यम से श्री एलेक्स लो, प्रबंधक (प्रशासन)1 से संपर्क करें: -

टेलीफोन नंबर : 2594 5749  
फ़ैक्स नंबर : 2824 0595  
ईमेल : enquiry@ccidahk.gov.hk  
डाक का पता : कमरा 3709, 37/एफ, रेवेन्यू टॉवर, 5 ग्लूसेस्टर रोड, वान चाई, हांगकांग

संस्कृति, खेल और पर्यटन ब्यूरो  
जून 2024